[कार्या]लय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 10/2021

दायर दिनांक – 04.02.2021

निर्णय दिनांक – 18.10.2021

जीसीएमएस नं0 – 2021/10

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1. श्री जोधा सिंह पुत्र श्री नौरत सिंह 2. श्री इन्द्र सिंह पुत्र श्री नौरत सिंह 3. श्री विजय सिंह पुत्र श्री नौरत सिंह 4. श्री सायर सिंह पुत्र श्री नौरत सिंह 5. श्री मती नर्बदा पत्नी श्री नौरत सिंह 6. श्री मती प्रेम पुत्री श्री नौरत सिंह 7. श्री मती पार्वती पुत्री श्री नौरत सिंह 8. श्री मती मंजू पुत्री श्री नौरत सिंह 9. श्री मती संगीता पुत्री श्री नौरत सिंह समस्त जाति रावत निवासीगण नाला पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर)

उपस्थिति–1. श्री सुभाष निम्बावत, अधि0, प्रार्थीगण

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:21:23 IST
Reason: SelfAttested

—: निर्णय :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम चावण्डिया हल्का गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि की आधार जमाबन्दी के खसरा नम्बरान 1100, 1101, 1099, 1096, 1098, 1097, 1008, 1012, 1009, 1001,

18.10.21

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

1003 मिन, 997 मिन, 998, 997 मिन, 997 मिन, 1003 मिन, 1005, 1012/1373, 1012/1373, 1006, 1012/1346, का वर्किंग जमाबन्दी के बंटवारे एवं नामान्तरकरण सं. 194 दिनांक 01.03.2002 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर अमल किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थीगण अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण ने उल्लेख किया है कि ग्राम चावण्डिया तहसील पुष्कर में स्थित आराजी जिसके वर्किंग खसरा नम्बरान 388, 389, 390, 391, 392, 396, 397, 398, 399, 400, 401 मिन, 402, 403, 405 मिन, 406, 407 कुल किता 16 कुल रकबा 22 बीघा 4 बीस्वा प्रार्थीगण के पिता एवं तत्कालीन सहखातेदारों की संयुक्त कृषि आराजी थी जिसमें से खसरा नम्बरान 389, 390, 391, 392, 396, 397, 398, 400, 401 मिन, 402, 403, 405 मिन, 406, 407 कुल किता 14 रकबा 18 बीघा 11 बीस्वा आराजी प्रार्थीगण के पिता के हिस्से में आया था जिसका जरिये नामान्तकरण संख्या 194 दिनांक 01.03.2002 को राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवा लिया गया। उक्त आराजी के आधार जमाबन्दी में निम्न प्रकार नये खसरा नम्बर बने–

साबिक		हाल	
ख.न.	क्षेत्रफल	ख.न.	क्षेत्रफल
389	01–04–00	1100 1101	0.10 0.10
390	01–06–00	1099	0.21
391	00–18–00	1096 1098	0.07 0.08
392	00–02–00	1097	0.01
396	03–05–00	1008 1012	0.34 0.19
397	01–13–10	1009	0.27
398	02–07–00	1001 1002 1003 मिन	0.10 0.18 0.22
400	02–09–00	997 मिन 998	0.12 0.28
401 मिन	00–18–00	997 मिन	0.04
402	00–15–00	997 मिन	0.12
403	00–15–00	1003 मिन	0.12
405 मिन	00–15–[illegible]	[illegible] [illegible]	0.12 0.01
406	00–12–[illegible]	[illegible]	0.10
407	01–11–[illegible]	[illegible] [illegible] 1012/1346	0.04 0.16 0.09

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:21:23 IST
Reason: SelfAttested

18/10/21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

परन्तु भू–बन्दोबस्त की कार्यवाही के दौरान आधार जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पिता तथा वर्किंग जमाबन्दी के अन्य सहखातेदारों के नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार इन्द्राज/स्वीकार कर दिया गया।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार पुष्कर को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक/तह.पुष्कर/कोर्ट/2021/2082 दिनांक 06.10.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि "राजस्व ग्राम चावण्डिया क वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के खाता संख्या 71 किता 2 रकबा 0.10 व खातासंख्या 72 किता 21 रकबा 3.59 वर्तमान में सहखातेदारी में दर्ज है। उपरोक्त सहखातेदारों का वर्ष 2002 मे नामान्तरकरा संख्या 194 दिनांक 01.03.2002 जरिये बंटवारानामा बंटवारा हुआ था। जिसका वर्किंग जमाबन्दी में अमल दरामद किया जा चुका था। परन्तु वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में उक्त नामान्तरकरण का अमल बदामद नहीं हुआ। नोरत पुत्र भीया जाति रावत को जरिये बंटवारा निम्न खसरा नम्बरान दिए गए थे। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में नोरत पि. भीया की मृत्यु होने से उनके नर्बदा देवी पत्नी नोरतसिह, जोधासिंह, इन्द्रसिह, विजयसिंह, सायरसिंह पि. नोरतसिंह, पार्वती, प्रेम, मंजूदेवी, संगीता पुत्रियां नोरत का इन्द्राज दर्ज है।

साबिक		हाल	
ख.न.	क्षेत्रफल	ख.न.	क्षेत्रफल
389	01–04–00	1100 1101	0.10 0.10
390	01–06–00	1099	0.21
391	00–18–00	1096 1098	0.07 0.08
392	00–02–00	1097	0.01
396	03–05–00	1008 1012	0.34 0.19
397	01–13–10	1009	0.27
398	02–07–00	1001 1002 1003 मिन	0.10 0.18 0.22
400	02–[illegible]–00	997 मिन 998	0.12 0.28
401 मिन	00–18–00	997 मिन 497/1499	0.04 0.05
402	00–18–00	997	0.12

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:21:23 IST
Reason: SelfAttested

18.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

403	00—18—00	1003 मिन	0.12
405 मिन	00—18—00	1005	0.12
		1012 / 1373	0.01
406	00—12—00	1007	0.10
407	01—11—10	1002 / 1373	0.04
		1006	0.16
		1012 / 1346	0.09

नामान्तरकरण संख्या 194 दिनांक 01.03.2002 में जरिये बंटवाड़ा हितिय हिस्सेदार के रूप में खातेदार सोनी उर्फ सीता पत्नी मंगला, खेमा जगदीश नारायण पूनम पि. मंगला, रूकमा पत्नी प्रभु रामस्वरूम रामसिंह मोटासिंह पि. प्रभु दर्ज है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में मोटासिंह फौत होने से सीता पत्नी मोटासिंह दर्ज है। उक्त बंटवाड़ा में उपरोक्त खातेदारों के हिस्से में निम्न खसरा नम्बर दर्ज है।

साबिक		हाल	
ख.न.	क्षैत्रफल	ख.न.	क्षैत्रफल
399	02—00—00	997 मिन	0.10
		999	0.11
		1000	0.11

तृतीय हिस्सेदार के रूप में बंटवारनामा के नामान्तरकरण में बीरमति पत्नी प्रेमा, मोहनसिह भागूसिह पि. प्रेमा अजयपाल पि. मंगला दर्ज है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में बीरमति ने मोहनसिह भागूसिह को हकत्याग कर दिया है। अजयपाल पि. मंगला की फौत होने से उनके वारिसान कमला, बरजी, मन्नी, पुरा, विमला पुत्रियां अजयपाल ओम पुत्र हरचन्द (पौत्र अजयपाल) गीता कविता ललिता दीपा ममता पुत्रियां हरचन्द (पौत्रियां अजयपाल) दर्ज है। उक्त खातेदार के हिस्से में नामान्तरकरण में निम्न खसरा नम्बर दर्ज है।

साबिक		हाल	
ख.न.	क्षैत्रफल	ख.न.	क्षैत्रफल
388	01—13—00	1102	0.27

श्रीमान जी उपरोक्त बंटवारा वर्किंग जमाबन्दी में दर्ज था जिसका चौसाला जमाबन्दी तैयार करते समय सहवन से इद्राज छूट गया जिसे ... कर पुनः इन्द्राज किया जाना उचित है।''

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:21:23 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर

19.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

र्ट तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र/सहमति–पत्र इत्यादि से यह प्रतीत है कि राजस्व ग्राम चावण्डिया पटवार हल्का गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि की वर्तमान जमाबन्दी खसरा नम्बरान 1100, 1101, 1099, 1096, 1098, 1097, 1008, 1012, 1009, 1001, 1002, 1003 मिन, 997 मिन, 998, 997 मिन, 497/1499, 997, 1003, 1005, 1012/1373, 1007, 1002/1379, 1006, 1012/1346, का वर्किंग जमाबन्दी के बंटवारे एवं नामान्तरकरण सं. 194 दिनांक 01.03.2002 के अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती, न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि **राजस्व ग्राम चावण्डिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि की की वर्तमान जमाबन्दी के खसरा नम्बरान 1100, 1101, 1099, 1096, 1098, 1097, 1008, 1012, 1009, 1001, 1002, 1003 मिन, 997 मिन, 998, 997 मिन, 497/1499, 997, 1003, 1005, 1012/1373, 1007, 1002/1379, 1006, 1012/1346, में वर्किंग जमाबन्दी के बंटवारे एवं नामान्तरकरण सं. 194 दिनांक 01.03.2002 के अनुसार खातेदारों का अंकन वर्तमान जमाबन्दी में किया जावे।** पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को मेरे द्वारा सरे–इजलास सुनाया गया।

18-10-21

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.)
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:21:23 IST
Reason: SelfAttested